



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7231/07

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश

याचिकाकर्ता:

धरम सिंह, पिता डी.बी. सिंह, आयु लगभग 20 वर्ष, 5वें सेमेस्टर-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का छात्र, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजनांदगांव, निवासी-द्वारा श्रीमती साधना सिंह, वार्ड क्रमांक 14, जैन धर्मशाला के पास, पोस्ट अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजनांदगांव (छ.ग.)
3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नॉर्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8 भिलाई, जिला दुर्ग(छग)

दिनांक 03.03.2008

उपस्थिति:

- श्री एस.सी. वर्मा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।
- श्री पंकज श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता, राज्य के लिए।
- श्री अनूप मजूमदार, अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 3 के लिए।

2. याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजनांदगांव(उत्तरवादी क्रमांक

2) में अध्ययनरत है। वह द्वितीय सेमेस्टर (मैकेनिकल) की परीक्षा में सम्मिलित हुआ,



हालांकि उसे रसायन विज्ञान के विषय में असफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ता अगले सत्र में पुनः सम्मिलित हुआ, हालांकि उसे पुनः असफल घोषित किया गया। वह मई, 2007 में उसी विषय में तीसरी बार सम्मिलित हुआ और रसायन विज्ञान विषय में फिर से असफल घोषित किया गया। उसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के तहत उत्तर-पुस्तिका की प्रति के लिए आवेदन किया और उसने उत्तर-पुस्तिका को अनुबंध पी-2 के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दिग्विजय कॉलेज, राजनांदगांव के प्राध्यापकों के समक्ष नवीन मूल्यांकन के लिए उत्तर-पुस्तिका प्रस्तुत की और उन्होंने अभिमत दिया कि उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन गलत रीति से किया गया है और याचिकाकर्ता को उत्तीर्ण घोषित किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.11.2007 को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, हालांकि पुनर्मूल्यांकन के लिए उसकी प्रार्थना खारिज कर दी गई और उसे उस परीक्षा में सम्मिलित होने का निर्देश दिया गया जो माह दिसंबर, 2007 में प्रस्तावित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निष्पक्ष रूप से यह तर्क देते हैं कि संबंधित परीक्षा पर लागू अध्यादेश और परिनियम पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं देते हैं जहाँ छात्र एक विशेष विषय में अनुत्तीर्ण होता है जबकि उसे विषय को उत्तीर्ण करने का तीसरा अवसर प्रदान किया जाता है।



4. सचिव, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद विरुद्ध अयन दास एवं अन्य¹ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए, यह तर्क दिया गया कि पुनर्मूल्यांकन की प्रार्थना पर विचार करते समय, यह विचार करना होगा कि बोर्ड ने मूल्यांकन की त्रुटि-रहित प्रणाली, या ऐसी प्रणाली जो लगभग दोष-मुक्त है, को किस सीमा तक सुनिश्चित किया है। वर्तमान प्रकरण में, यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा आयोजित परीक्षा की इस प्रणाली में दोष नहीं हो सकता और यह लगभग दोष-मुक्त है।

5. यह सुस्थापित विधि है कि सार्वजनिक परीक्षा के परिणाम को अंतिमता प्रदान की जानी चाहिए और वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में, न्यायालय उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन/पुनः परीक्षा का निर्देश नहीं दे सकता है।

6. न्यायालयों को सामान्यतः रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं के निरीक्षण का निर्देश नहीं देना चाहिए जब तक कि यह दिखाने के लिए कोई मामला न बनाया जाए कि या तो किसी प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया गया है या मूल्यांकन परीक्षा निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के विपरीत किया गया है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रकरणों में परीक्षा निकाय प्रश्नों के आदर्श उत्तर प्रदान कर सकता है। ऐसे प्रकरणों में यदि परीक्षार्थी न्यायालय को संतुष्ट करते हैं कि आदर्श उत्तर बोर्ड द्वारा अपनाए गए उत्तर से भिन्न है, तभी न्यायालय परीक्षार्थी द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति

1 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2007 को निर्णीत सिविल अपील क्र. 4360/2007



देने के लिए उत्तर-पुस्तिकाओं को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। (कानपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य विरुद्ध समीर गुप्ता एवं अन्य²)

7. उपरोक्त दृष्टिकोण का बाद में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा एवं अन्य विरुद्ध डी. सुवंकर एवं अन्य, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 1230 के प्रकरण में अनुसरण किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:

"बोर्ड अधिरोपित वाद-व्यय के विरुद्ध अपील में है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य विरुद्ध परितोष भूपेश कुमारशेठ आदि, ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1543 के प्रकरण में निर्धारित किया गया है, यह लोक हित में है कि जब सार्वजनिक परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित हों, तो उनके साथ कुछ अंतिमता जुड़ी होनी चाहिए। यदि उम्मीदवारों की उपस्थिति में निरीक्षण, सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन को अधिकार के रूप में अनुमति दी जानी है, तो यह विशेष रूप से उम्मीदवारों की सापेक्ष रैंकिंग आदि के संबंध में अत्यधिक और अनिश्चित अनिश्चितता पैदा कर सकता है, इसके अलावा प्रक्रिया में शामिल श्रम और समय की विशालता के कारण अत्यधिक भ्रम पैदा हो सकता है। न्यायालय को तकनीकी विशेषज्ञता और शैक्षणिक संस्थानों एवं उन पर नियंत्रण रखने वाले विभागों के वास्तविक दिन-प्रतिदिन के कामकाज का समृद्ध अनुभव रखने वाले पेशेवर पुरुषों द्वारा तैयार किए गए विचारों के स्थान पर शैक्षणिक प्रकरणों के संबंध में क्या बुद्धिमानीपूर्ण, विवेकपूर्ण और उचित है, इसके बारे में अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करने में अत्यधिक संकोच करना चाहिए। इस प्रकृति की समस्याओं के प्रति प्रणाली के कामकाज में शामिल वास्तविक वास्तविकताओं और जमीनी स्तर की समस्याओं से अलग होकर और व्यावहारिक दृष्टिकोण के विपरीत विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रतिपादित करने से होने वाले परिणामों से बेखबर होकर, न्यायालय के लिए एक पांडित्यपूर्ण



और विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाना पूरी तरह से गलत होगा। उपरोक्त आधारों पर, यह विचार किया जाना है कि बोर्ड ने मूल्यांकन की त्रुटि-रहित प्रणाली, या ऐसी प्रणाली जो लगभग दोष-मुक्त है, को कहाँ तक सुनिश्चित किया है।"

8. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता इस बात से विवाद नहीं करता है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई वैधानिक उपबंध नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया है कि अनुबंध पी-2 की उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे गलत है। इस आशय का अस्पष्ट कथन करने के अलावा कि कुछ प्राध्यापकों ने अनुबंध पी-2 की उत्तर-पुस्तिका को देखने के बाद अभिमत दिया है कि मूल्यांकन गलत तरीके से किया गया है और याचिकाकर्ता को उत्तीर्ण घोषित किया जाना चाहिए था, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो इस न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना किए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने के लिए राजी कर सके।

9. इस संबंध में सुस्थापित विधिक सिद्धांत के दृष्टिगत, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए वर्तमान प्रकरण में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ।

10. परिणामतः, याचिका खारिज होने योग्य है और एतद्वारा खारिज की जाती है।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश



(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

